फाइल सं. ए.12018/05/2020-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में नर्सिंग अर्दली समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में नर्सिंग अर्दली समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 21/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक

B nvv[भारत के राजपत्र, भाग II खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1978 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में नर्सिंग अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु नर्सिंग अर्दली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

   2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नर्सिंग अर्दली ।	13 *(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु)।	लागू नही होता ।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
6	7	8	9
18-25 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फर्स्ट एड प्रमाण पत्र । (iii) 50 बिस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का अस्पताली कार्य का अनुभव टिप्पण 1: यदि उम्मीदवार अन्यथा सुपात्र है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधी उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के पर्याप्त अनुभव रखने वाले	लागू नही होता ।	दो वर्ष।

राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पणी 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।		
भर्ती की विधि: न प्रत्यक्ष या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के माध्यम से और विभिन्न विधियों द्वारा पद भरने का प्रतिशत	**यदि भर्ती पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अतवा आमेलन से हो तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन होना है।**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना**	**परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती से टिप्पण: 1 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए अधिकारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में दूर होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा (क) नियमित आधार पर सदृश पदधारक और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभाग योग्यता रखने वाले।	लागू नही होता ।	समूह 'ग' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण के विचारार्थ) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर निदेशक (नैदानिक), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	लागू नही होता ।

		3. सहायक उपचर्या अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य 4. क्षेत्र में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्य कार्यालय से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	

[फा.सं. ए.12018/05/2020-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार